

**भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)**

NO.E(NG)I-2014/PM1/3

New Delhi, dated 01.09.2014

The General Managers (P)
All Indian Railways & PUs,
(as per standard list)

Sub : Guidelines for providing various facilities including allowing scribes to person with disabilities at the time of departmental examination.

The issue of providing various facilities, including scribes to persons with disabilities, for writing answers in departmental examination has been under consideration of the Board for quite some time.

2. Accordingly, it has been decided by the Board that instructions contained in this Ministry's letters No.E(NG)II/2006/RC-2/13 dated 17.09.2007, 18.02.2011, 27.04.2012, 25.09.2013 and 19.12.2013 may be made applicable in case of departmental examination also, wherever circumstances so warrant.

Please acknowledge receipt.

Hindi version shall follow.



(Amita Bhalla)
Deputy Director-II E(NG)I
Railway Board.

आरबीई सं. 93/2014

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2014/पीएम1/3

नई दिल्ली, दिनांक 01.09.2014

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय : विभागीय परीक्षा के समय विकलांग व्यक्ति को स्क्राइब की अनुमति देने सहित विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिशा-निर्देश

विभागीय परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए विकलांग व्यक्तियों को स्क्राइब सहित विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराने के मामले पर कुछ समय से बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है।

2 तदनुसार, बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 17.09.2007, 18.02.2011, 27.04.2012, 25.09.2013 और 19.12.2013 के पत्र सं. ई(एनजी)II/2006/आरसी-2/13 में निहित अनुदेशों को विभागीय परीक्षाओं के मामले में भी, जहां कहीं ऐसा करना अपेक्षित हो, लागू किया जाए।

कृपया पावती दें।

अमिता

(अमिता भल्ला)
उपनिदेशक-II स्था(आरा.)I
रेलवे बोर्ड